



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256076
CG-DL-E-05082024-256076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 437]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 476(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम तारीख 16 सितंबर, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में,—
(i) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"3क - न्यायनिर्णयन मंच.- (1) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने पर, इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी और प्रादेशिक निदेशक की सभी कार्यवाहियां (नोटिस जारी करना, उत्तर या दस्तावेज फाइल करना, साक्ष्य, सुनवाई करना, साक्षियों की उपस्थिति, आदेश पारित करना और शास्ति का भुगतान सहित) इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित ई-न्यायनिर्णयन मंच के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी।

(2) यदि किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे इन नियमों के अधीन नोटिस या सम्मन जारी किया जाना अपेक्षित है, ई-मेल पता उपलब्ध नहीं है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी अंतिम सूचित किए गए पते या अभिलेखों में उपलब्ध पते पर डाक द्वारा सूचना भेजेगा, और अधिकारी ऐसी सूचना की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ई-न्यायनिर्णयन मंच में सुरक्षित रखेगा:

परंतु यह कि संबंधित व्यक्ति का कोई पता उपलब्ध न होने की स्थिति में यह नोटिस ई-न्यायनिर्णयन मंच पर रख दिया जाएगा।

(ii) उक्त नियमों के उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:



प्ररूप संख्या एडीजे

अपील ज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 की उपधारा (5)
और कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के
नियम 4 के उपनियम (1)] के अनुसरण में]

“उपाबंध

प्ररूप भाषा

☐ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड आज्ञापक हैं

प्रादेशिक निदेशक के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

(दिन/माह/वर्ष) तारीख को आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में

द्वारा

1 * न्यायनिर्णयन आदेश की आदेश आईडी संख्या

टिप्पण: कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) में दूसरे परंतुक के
अनुसरण में, प्ररूप एडीजे में अपील में एक से अधिक आदेशों के विरुद्ध छूट की मांग नहीं की जाएगी जब तक
कि मांगी गई छूट परिणामी न हो।

2 * अपीलकर्ता की श्रेणी

(कंपनी / विदेशी कंपनी / अन्य [व्यक्तिगत])

3 कंपनी का विवरण

(क) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्री संख्या (एफसीआरएन)

(ख) कंपनी का नाम

(ग) भारत में रजिस्ट्री कार्यालय या व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता

(घ) कंपनी की ईमेल आईडी

4 अन्य (व्यक्तिगत) अपीलकर्ता का विवरण

अन्य (व्यक्तिगत) अपीलकर्ता का चयन करें

(क) * पहचान संख्या

(डीआईएन/पैन/पासपोर्ट संख्या/सदस्यता संख्या)

(ख) *नाम

(ग) * ईमेल आईडी

5 (क) *क्या अपील अन्य अपीलकर्ताओं की ओर से भी फाइल की जानी है?

हाँ ☐ ☐ नहीं

(ख) अपीलकर्ताओं की संख्या जिनके लिए प्ररूप फाइल किया जा रहा है

6 अन्य अपीलकर्ताओं का विवरण जिनकी ओर से अपील फाइल की जा रही है

अन्य अपीलकर्ता का चयन करें

(क) * पहचान संख्या

(डीआईएन/पैन/पासपोर्ट संख्या/सदस्यता संख्या)

(ख) *नाम

(ग) * ईमेल आईडी

(घ) *अपील फाइल करने के प्राधिकार पत्र की प्रति

अधिकतम 2 MB

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

7 प्रतिवादी का विवरण

(क) *न्यायनिर्णयन अधिकारी

(ख) *पता

8 न्यायनिर्णयन आदेश का विवरण

(क) *धारा जिसके अधीन शास्ति लगायी गई थी

(ख) अन्य को निर्दिष्ट करें

(ग) *धारा का विवरण

9 शास्ति का विवरण

क्र.सं.	अपीलकर्ता का नाम	लगायी गयी शास्ति (राशि रु में)	शास्ति का कारण

10 प्ररूप का नाम निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो

11 ऊपर निर्दिष्ट प्ररूप का एसआरएन

अपील का विवरण

12 * मामले का सारांश

13 * अपील के आधार

14 * मांगी गई छूट

15 * मांगी गई अंतरिम छूट, यदि कोई हो

16 * शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

17 * नियत तारीख जिस तक अपील फाइल की जानी है (दिन/माह/वर्ष)

18 * क्या अपील फाइल करने में विलंब हुआ है?

☐ हाँ
☐ नहीं

19 दिनों में विलंब

20 अपील फाइल करने में विलंब के कारण

21 * प्रादेशिक निदेशक का अधिकार क्षेत्र

22 न्यायालय में फाइल रिट याचिका का विवरण, यदि कोई हो

23 प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण

(क) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई हो,

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि की ईमेल आईडी, यदि कोई हो

अपीलकर्ता घोषणा करता है कि अपील की विषय वस्तु प्रादेशिक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आती है।

संलग्नक

(क) *उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील मांगी गई है

अधिकतम 2 MB

फाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार की एक प्रति, यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) विलंब के लिए क्षमादान का आदेश, यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

- ☐ *मुझे कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संख्या * तारीख* के माध्यम इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
- ☐ *मैं इस प्ररूप को चूककर्ता अधिकारी के या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में फाइल कर रहा हूं और इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
- ☐ *मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक भी सम्मिलित हैं और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गयी है।
- ☐ *यह भी घोषित किया जाता है कि कोई अन्य अपील, मुकदमा, सिविल संशोधन या कोई अन्य विधि कार्यवाही किसी भी प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* श्रेणी

(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ / प्राधिकृत प्रतिनिधि / अपीलकर्ता)

*पहचान संख्या (निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या

प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या या अपीलकर्ता का डीआईएन/पैन/पासपोर्ट नंबर; या प्राधिकृत प्रतिनिधि का पैन)

सेव

जमा

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के साथ पठित धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

अपील आईडी

अपील अनुमोदित की जाती है

डीएससी बॉक्स

अपील अस्वीकार की जाती है

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

[फा. सं.1/25/2013-सीएल-V(पार्ट)]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 254(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.131(अ) तारीख 19 फरवरी, 2019 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2024

G.S.R. 476(E).— In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the 16th day of September, 2024.

2. In the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014,—

(i) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

“3A. Adjudication Platform.- (1) On the commencement of the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2024, all proceedings (including issue of notices, filing replies or documents, evidences, holding of hearing, attendance of witnesses, passing of orders and payment of penalty) of adjudicating officer and Regional Director under these rules shall take place in electronic mode only through the e-adjudication platform developed by the Central Government for this purpose.

(2) In case the e-mail address of any person to whom a notice or summons is required to be issued under these rules is not available, the adjudicating officer shall send the notice by post at the last intimated address or address available in the records and the officer shall preserve a copy of such notice in the electronic record in the e-adjudication platform referred to in sub-rule (1):

Provided that in case no address of the person concerned is available, the notice shall be placed on the e-adjudication platform.”

(ii) For the Annexure to the said rules, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"Annexure

**Form No. ADJ****Memorandum of Appeal**

[Pursuant to Section 454(5) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form
*All fields marked in * are mandatory*

Form language

☒ English☐ Hindi

Before the Regional Director

In the matter of the Companies Act, 2013

And

In the matter of appeal against the order made on (DD/MM/YYYY)

By

1 *Order ID number of the adjudication order

Note: Pursuant to the second proviso in sub rule (1) of Rule 4 of the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014,
 the appeal in Form ADJ shall not seek relief against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential.

2 *Category of Appellant

(Company/Foreign Company/Others [Individual])

3 Company Details

(a) Corporate Identity Number (CIN) or Foreign Company Registration Number (FCRN)

(b) Name of the company

(c) Address of the registered office or principal place of business in India

(d) Email id of the company

4 Details of other (individual) appellant

Select other (individual) appellant

(a) *Identification number

(DIN / PAN / Passport Number / Membership Number)

(b) *Name

(c) *Email ID

5 (a) *Whether the appeal is to be filed on behalf of other appellants also?

☐

Yes

☐

No

(b) Number of appellants for which the form is being filed

6 Particulars of other appellants on behalf of whom the appeal is being filed

Select other appellant


(a) *Identification number
(DIN / PAN / Passport Number / Membership Number)

(b) *Name

(c) *Email ID

(d) *Copy of authorisation letter to file the appeal

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

7 Details of the respondent

(a) *Adjudicating officer



(b) *Address

8 Details of Adjudication order

(a) *Section under which penalty was imposed



(b) Specify others

(c) *Description of the section

9 Penalty Details

S. No.	Name of the Appellant	Penalty imposed (Amount in INR)	Reason for Penalty

10 Specify the name of the form, if any

11 SRN of the form specified above

Appeal details

12 *Synopsis of case

13 *Grounds of appeal

14 *Relief sought

15 *Interim relief sought, if any

16 *Date of issuing certified copy of penalty order (DD/MM/YYYY)

17 *Due date by which the appeal has to be filed (DD/MM/YYYY)

18 *Whether there is a delay in filing the appeal?

☐ Yes ☐ No

19 Delay in days

20 Reason for delay in filing the appeal

21 *Jurisdiction of Regional Director

22 Details of writ petition filed with the court, if any

23 Details of the authorised representative

(a) Name of the authorised representative, if any

(b) Email id of the authorised representative, if any

The appellant declares that the subject matter of appeal falls within the jurisdiction of the Regional Director.

Attachments

(a) *Certified copy of the order against which appeal is sought

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(b) A copy of authorisation in favour of authorised representative, if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(c) Order of condonation of delay, if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(d) Optional attachment(s), if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Declaration

☐ *I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number * dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with in respect of subject matter of this form.

☐ *I am filing this form in my individual capacity as Officer in default or any other person in the captioned matter and hereby certify that all the requirements of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder have been complied with in respect of subject matter of this form.

☐ *I also certify that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

☐ *It is further declared that no other appeal, suit, civil revision or any other legal proceedings is pending before any authority on the similar matter.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

***Category**

(Director/Manager/Company Secretary/ CFO/ CEO/ Authorised representative/ Appellant)

***Identification Number (Director identification number of the director; or DIN or**

PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary
Or DIN/PAN/Passport number of appellant; or PAN of Authorised Representative)

Note: Attention is drawn to provisions of Section 447 read with 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service Request Number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Appeal ID

The appeal is hereby approved

The appeal is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)

”

[F. No. 1/25/2013-CL-V(Part)]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 254(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 131(E) dated 19th February, 2019.